पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 17, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	513–525	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	501–508	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां – ...	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	227	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

22 मई, 2015 ई0

संख्या 758/XVII-2/15-104(म0क0)/2001–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), नियम, 2007 के नियम 91 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् राज्य स्तरीय चयन समिति के गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	मा0 न्यायमूर्ति, श्री बी0एस0 वर्मा	–	अध्यक्ष
2.	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल	–	सदस्य सचिव
3.	डा0 आशा मेहता पत्नी श्री गोपाल मेहता, मेहता काटेज, बाडी, अल्मोड़ा	–	सदस्य
4.	श्री योगराज सिंह, 405–अपर नेहरू ग्राम, रायपुर, देहरादून	–	सदस्य
5.	श्री कृष्ण सिंह बिष्ट, एडवोकेट, अल्मोड़ा	–	सदस्य
6.	श्री जसवीर सिंह राणा, कोटद्वार	–	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

15 जून, 2015 ई0

संख्या 80/XXVII(7)/2008–श्री राज्यपाल महोदय "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2015

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली, 2008 के नियम–8, 9, 12 के उपनियम–1, 13 के उपनियम–1 एवं 5 में संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–8, 9, 12 के उपनियम–1, 13 के उपनियम–1 एवं 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम/उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–8. सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटशन) के कय– जहां कय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है:– "मैं————————व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा कय की गयी सामग्री ————————अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप हैं और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर कय की गयी है।" हस्ताक्षर अधिकारी का नाम पदनाम	**नियम–8. सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटशन) के कय–** जहां कय की जाने वाली सामग्री का **मूल्य रू0 50,000 (रू0 पचास हजार)** तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है:– "मैं————————व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा कय की गयी सामग्री ————————अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर कय की गयी है।" हस्ताक्षर अधिकारी का नाम पदनाम
नियम–9. कय समिति के माध्यम से सामग्री का कय– प्रत्येक अवसर पर रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में कय की जाने वाली सामग्री का कय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से	**नियम–9. कय समिति के माध्यम से सामग्री का कय–** प्रत्येक अवसर पर **रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) से अधिक तथा रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख)** तक लागत की सीमा में कय की जाने वाली सामग्री का कय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से

गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवतत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेंगे:–

"प्रमाणित किया जाता है कि हमारा (1)----------(2)----------(3)---------- का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है, वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम है।"

हस्ताक्षर,

(1)	(2)	(3)
नाम	नाम	नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम

<u>नियम–12(1).</u> समिति निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख) तक हो।

गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवतत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेंगे:–

"प्रमाणित किया जाता है कि हमारा निविदा में प्रतिभाग करने वाली किसी भी संस्था/एजेन्सी से निजी हित संलिप्त नहीं हैं (1)----------(2)----------(3)---------- का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है, वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम है ।"

हस्ताक्षर,

(1)	(2)	(3)
नाम	नाम	नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम

<u>नियम–12(1).</u> समिति निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 **60.00 लाख (रू0 साठ लाख)** तक हो।

नियम–13(1). रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्टीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाय। रूपये 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्रप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार–पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।	नियम–13(1). रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख) तथा उससे अधिक, तक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्टीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाय। रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्रप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार–पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।
नियम–13(5). सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह होगी।	नियम–13(5). सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से दो सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह होगी।

3. नियम–31 निर्दिष्ट "कार्य के कियान्वयन" हेतु मानदण्ड में उप नियम–8 के पश्चात उप नियम–9 एवं नियम–33 के उपनियम–"च" के पश्चात "छ" का जोड़ा जाना।

नियम–31 निर्दिष्ट "कार्य के कियान्वयन" हेतु मानदण्डः– नियम–31 निर्दिष्ट "कार्य के कियान्वयन" हेतु मानदण्ड में उप नियम–8 के पश्चात उप नियम–9 को जोड़ा जाना।	नियम–31(9) एक स्थान विशेष पर सम्पादित किए जाने वाले भवन निर्माण कार्यों की दरों में एकरूपता लाने हेतु राज्याधीन विभागों /कार्यदायी संस्थाओं/निगमों के द्वारा कराये जाने वाले भवन निर्माण कार्य के संबंध में निम्नवत् अनुमन्यता होगीः– (i) राज्याधीन विभागों/कार्यदायी संस्थाओं /निगमों के लिए भी DSR लागू होगा और जो मदें DSR में नहीं हैं, उनके संबंध में SOR की दरें लागू होंगी। (ii) DSR की दरों पर CPWD द्वारा उत्तराखण्ड हेतु जारी Price Index देय होगा और Index की गणना CPWD द्वारा

उत्तराखण्ड हेतु जारी किए गए 39 स्थानों के अनुसार तथा इसके अतिरिक्त स्थानों के संबंध में CPWD द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जायेगी।

(iii) विभागीय विशेषज्ञता वाले ऐसे मद (यथा सीवरेज, नलकूप संबंधी कार्य) जिसके संबंध में DSR/SOR में दरें उपलब्ध दरें उपलब्ध नहीं है, के संबंध में दर विश्लेषण एवं दर निर्धारण संबंधित विशेषज्ञ विभाग (यथा सीवरेज कार्य के संबंध में पेयजल निगम एवं नलकूप के संबंध में सिंचाई विभाग) द्वारा ही तैयार कर जारी की जायेगी और प्रतिवर्ष उसे पुनरीक्षित किया जायेगा। तथापि, इस प्रकिया के अन्तर्गत भी श्रम, संसाधन एवं संयत्र (Labour Resources & Machines) की मूल दरें SOR में उपलब्ध संसाधनों की मूल दरों से ही ली जायेंगी।

नियम–33. निविदा करने की विधि के उपनियम–च के बाद 'छ' का जोड़ा जाना

नियम–33 (छ). ऐसे प्रकरण जिनमें एकल निविदा प्राप्त होती है:–

(एक)– रू0 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्यों के संबंध में मैनुअल निविदा आमंत्रण के अन्तर्गत प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा नहीं खोली जायेगी किन्तु दूसरी बार यदि एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसे खोला जा सकेगा, बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण के लिए सम्यक प्रकिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था। रू0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के संबंध में ई–निविदा प्रकिया के अन्तर्गत प्रथम बार की निविदा में प्राप्त एकल निविदा भी खोली जा सकेगी बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण की सम्यक प्रकिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था।

(दो)– निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्य निर्माण सामग्री यथा– सीमेन्ट, स्टील तथा पाईप आदि का कय सीधे सामग्री निर्माता अथवा

अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सामग्री निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स (न्यूनतम 3) का एक पैनल तैयार कर उनके साथ ऐसी सामग्रियों की दर संविदा करने की स्वतन्त्रता रहेगी और स्थानीय कार्य अधिकारी द्वारा पैनल में सम्मिलित सामग्री निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे आपूर्ति आदेश निर्गत कर सामग्री की अधिप्राप्ति की जा रहेगी।

(तीन)– पर्वतीय क्षेत्रों में निविदा की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में संसाधनों एवं सुविधाओं में कठिनाई उत्पन्न होने के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर सामग्रियों की अनुपलब्धता की स्थिति विद्यमान होने के दृष्टिगत **पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 1.50 करोड़ तक** की लागत के कार्य 'विभागीय पद्धति' से कराये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत सामग्री की अधिप्राप्ति यदि ऐसी सामग्री के लिए निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दर संविदा की गई है, तो ऐसे निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को आपूर्ति आदेश देकर अन्यथा 'विभागीय क्रय समिति' द्वारा बाजार सर्वे /कोटेशन के आधार पर दर प्राप्त कर आपूर्ति आदेश द्वारा की जायेगी। यंत्र/उपकरण की अधिप्राप्ति भी 'विभागीय क्रय समिति' के माध्यम से ही कोटेशन लेकर की जायेगी तथा श्रमिकों की व्यवस्था आईटम रेट आधार पर आउटसोर्सिंग/कार्यादेश के माध्यम से की जायेगी। इस पद्धति से कार्य सम्पादन करने की दशा में अधिप्राप्ति नियमावली के तत्संबंधी अन्य नियम शिथिल समझे जायेंगे।

4. मूल नियमावली के नियम–8, 9, 12 के उपनियम–1 एवं 13 के उपनियम–1 तथा 5 में संशोधन।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–8, 9, 12 के उपनियम–1 एवं 13 के उपनियम–1 तथा 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम/उपनियम रख दिये जांय, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–39. बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य–अधिप्राप्ति –सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक लागत के कार्य करा सकता है। बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराया जा सकता है, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।	**नियम–39.** बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य –अधिप्राप्ति–सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर **रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) तक** लागत के कार्य करा सकता है। आपात स्थिति में बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से **रू0 5.00 लाख (पांच लाख) तक** के कार्य कराये जा सकते हैं, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।
नियम–58. गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन– साधारणतया परामर्शदाता के चयन में एकल स्रोत चयन से बचा जाय क्योंकि इससे स्पर्धा का लाभ नहीं मिलता, चयन में पारदर्शिता का अभाव तथा अवांछनीय रीति को प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी, किसी विशेष परिस्थिति में जहां पर्याप्त परिस्थितियों एवं औचित्यों के कारण संबंधित विभाग/संगठन के सम्पूर्ण हित में किसी विशेष परामर्शी का चयन करना आवश्यक हो, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी के चयन के पूर्व, पूर्ण औचित्य अभिलिखित किया जाय तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। ऐसे प्रकरण, जिसकी लागत रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक हो, एकल स्रोत चयन के पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।	**नियम–58. गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन–** साधारणतया परामर्शदाता के चयन में एकल स्रोत चयन से बचा जाय क्योंकि इससे स्पर्धा का लाभ नहीं मिलता, चयन में पारदर्शिता का अभाव तथा अवांछनीय रीति को प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी, किसी विशेष परिस्थिति में जहां पर्याप्त परिस्थितियों एवं औचित्यों के कारण संबंधित विभाग/संगठन के सम्पूर्ण हित में किसी विशेष परामर्शी का चयन करना आवश्यक हो, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी के चयन के पूर्व, पूर्ण औचित्य अभिलिखित किया जाय तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। ऐसे प्रकरण, जिसकी लागत **रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख)** से अधिक हो, एकल स्रोत चयन के पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

कार्यालय–आदेश

27 जून, 2015 ई0

संख्या 946/XVII-2/2015-01(04)/2010–समय–समय पर यथासंशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 56 के अधीन श्री सैयद राहत अली, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण द्वारा दिनांक 30–06–2015 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30–06–2015 को सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/पदोन्नति

01 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 156/XXVII(6)-940-2014/2015–उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–2, ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह कलखोली,
2. श्री ओम प्रकाश पंत,
3. श्रीमती शिवानी भौर्याल,
4. श्री करम सिंह नेगी,
5. श्री मनमोहन मैनाली,
6. श्री पूरन चन्द्र जोशी,
7. श्री संजीव कुमार सिंह,
8. श्रीमती स्मृति खण्डूड़ी,
9. श्री रोमिल चौधरी,
10. श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
11. डॉ0 तन्जीम अली,
12. श्री लखेन्द्र गौथियाल,
13. कु0 हिमानी स्नेही।

2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव (वित्त)।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

30 जून, 2015 ई0

संख्या 2359/X-1-2015-04(26)/2008–डॉ0 श्रीकान्त चंदोला, भा0व0से0 (उत्तराखण्ड–1980) को नियमित चयनोपरान्त, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वेतनमान ₹ 80,000 (नियत Apex Scale) श्रेणी में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

30 जून, 2015 ई0

संख्या 2360/X-1-2015-4(26)2008–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को, नियमित चयनोपरान्त, प्रमुख वन संरक्षक (वेतनमान ₹ 75,500–80,000) श्रेणी में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	अधिकारी का नाम वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री जयराज, अपर प्रमुख वन संरक्षक	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून	श्री जयराज को प्रमुख वन संरक्षक के पद विशेष पर तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे
2.	श्रीमती रेखा पै, अपर प्रमुख वन संरक्षक	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर	प्रोफार्मा प्रोन्नति

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय आदेश

30 जून, 2015 ई0

संख्या 2361/X-1-2015-04(26)/2008–श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, भा0व0से0–1983, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी/वन संरक्षण को उनके वर्तमान पदभार के साथ–साथ प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के पद का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया जाता है।

उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये श्री एस0टी0एस0 लेप्चा को कोई अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ते देय नहीं होंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

04 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1120/XXVIII-3-2015-90/2008–दिनांक 30–11–2013 को सेवानिवृत्त श्री के0के0 ध्यानी, विशेष कार्यधिकारी (फार्मेसी) को दिनांक 28–11–2013 की तिथि (पूर्व विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न होने की तिथि) से उप निदेशक (फार्मेसी), तत्समय के वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600 के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रोन्नति

09 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 633/XXVIII-2/01(139)2009–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक ग्रेड वेतनमान, वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम
1.	डा0 सुशील कुमार नौटियाल,
2.	डा0 कृष्ण चन्द्र पन्त,
3.	डा0 तारा चन्द्र पन्त,
4.	डा0 रविन्द्र थपलियाल,
5.	डा0 राजेन्द्र कुमार पाण्डे,
6.	डा0 टी0पी0 डिमरी,
7.	डा0 सुशील प्रसाद अग्रवाल,
8.	डा0 अमिता पन्त (उप्रेती),
9.	डा0 अंजली नौटियाल,
10.	डा0 किरन बिष्ट।

2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अपर निदेशकों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

विज्ञप्ति/त्याग–पत्र

13 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 834/VIII/15-39(ई0एस0आई0)/2014–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः पी0एफ0/कराबीयो/2015–16/1295, दि0 12–06–2015, के साथ संलग्न डा0 सुप्रिया घिल्डियाल, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, आई0टी0 पार्क, जिला–देहरादून के प्रार्थना–पत्र दि0 10 जून, 2015 पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 के नियम–5 के अधीन दिनाँक 10 जून, 2015 से चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, औषधालय, आई0टी0 पार्क, जिला–देहरादून के पद से डॉ0 सुप्रिया घिल्डियाल का त्याग–पत्र स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

30 जून, 2015 ई0

संख्या 1057/II-2015-01(34)/2012 टी0सी0–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 123/49/ई–1/डी0पी0सी0/2014–15 दिनांक 24–06–2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वेतनमान ₹ 15600–39100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डिप्लोमाधारी संवर्गः–

1. श्री शैलेन्द्र शर्मा,
2. श्री सत्ये सिंह,
3. श्री राजकुमार सिंह,

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22638–22639/2012 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32726/13 आदि में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

विज्ञप्ति

04 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1080/II-2015-01(46)/2002—एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) श्रेणी "ख" के निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे:—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	करण सिंह पडियार	01—07—1955	सहायक अभियन्ता (सिविल)	30—06—2015
2.	मदनू	05—04—1955	सहायक अभियन्ता (सिविल)	30—04—2015

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/422—भाग 1—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 17, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 10, 2015

No. 208/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2012--Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 25-03-2015 to 06-04-2015.

NOTIFICATION

July 14, 2015

No. 209/UHC/XIV-14/Admin.A/2008--Sri Dharmendra Singh Adhikari, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 01-06-2015 to 30-06-2015.

NOTIFICATION

July 14, 2015

No. 210/UHC/XIV-a/57/Admin.A/2012–Ms. Arti Saroha, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 01-12-2014 to 29-05-2015 in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

Further, she is sanctioned medical leave for 30 days w.e.f. 30-05-2015 to 28-06-2015.

NOTIFICATION

July 20, 2015

No. 211 UHC/XIV/41/Admin.A--Sri Ravindra Maithani, District Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 01-07-2015 to 10-07-2015 with permission to suffix 11-07-2015 & 12-07-2015 as second Saturday & Sunday.

NOTIFICATION

July 21, 2015

No. 212/UHC/XIV/40/Admin.A--Smt. Meena Tiwari, District Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 26 days *w.e.f.* 15-06-2015 to 10-07-2015 in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/ 2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार

कार्यालयादेश

07 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 340/टी0आर0/UA08D-9918/2015–वाहन संख्या UA08D-9918 ऑटो रिक्शा मॉडल–2006 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 83610B5 तथा इंजन नं0 R5B65159 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 10–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 संभागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08D-9918 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 341/टी0आर0/UK08T-7536/2015–वाहन संख्या UK08T-7536 मो0 कार मॉडल–2011 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 MA3EADE1S00172669 तथा इंजन नं0 K10BN4209640 है। वाहन के एक्सीडेंट में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहन के बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम के निस्तारण हेतु वाहन स्वामी ने वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। वाहन की मूल आर0सी0 कार्यालय में जमा की गई है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08T-7536 मो0 कार मारूती ऑल्टो का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

13 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 342/टी0आर0/UA07C-7610/2015–वाहन संख्या UA07C-7610 मैक्सी कैब मॉडल–2003 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 421055BWZ400281 तथा इंजन नं0 MXZ914108 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 10–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 संभागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA07C-7610 मैक्सी कैब का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

मनीष तिवारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हरिद्वार।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

21 मई, 2015 ई0

संख्या 256/पंजीयन निरस्त/2015–वाहन संख्या UK13-4460 LMV के वाहन स्वामी श्री राजेश भट्ट पुत्र श्री एल0एन0 भट्ट, निवासी ग्राम–कोटमा, पो0–कोटमा, जिला रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि उनका वाहन दिनांक 22–06–2014 को स्थान रामपुर अगस्त्यमुनि के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस क्रम में प्रार्थी द्वारा थाना अगस्त्यमुनि जनपद रूद्रप्रयाग की रिपोर्ट दिनांक 01–12–2014 इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस नम्बर (टुकड़ा) भी कार्यालय में जमा करा दिया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिनांक 20–05–2015 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, सुधांशु गर्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी वाहन संख्या UK13-4460 LMV CAR चेसिस संख्या MA3EUA61S00248674 इंजन संख्या–F8DN5033845 पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

21 मई, 2015 ई0

संख्या 257/पंजीयन निरस्त/2015–वाहन संख्या UK13-4008 LMV के वाहन स्वामी श्री आशीष गैरोला पुत्र श्री हर गोविन्द गैरोला, निवासी ग्राम व पो0–त्रियुगिनारायण फाटा, जिला रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि उनका वाहन दिनांक 07–09–2013 को समय 8:15 PM के लगभग स्थान त्रियुगिनारायण के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस क्रम में प्रार्थी द्वारा चौकी प्रभारी फाटा थाना ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग में दिनांक 21–09–2013 की रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस नम्बर (टुकड़ा) भी कार्यालय में जमा करा दिया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिनांक 29–02–2015 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, सुधांशु गर्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी वाहन संख्या UK13-4008 LMV चेसिस संख्या MA3EAA61S02072962 इंजन संख्या–F8DN4850557 पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

21 मई, 2015 ई0

संख्या 290/पंजीयन निरस्त/2015–वाहन संख्या UK13-3989 MOTOR CYCLE के वाहन स्वामी श्री संजय कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, ग्राम व पो0–जखोली, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि उनका वाहन दिनांक 13–03–2014 को देहरादून में चोरी हो गया है। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा थाना कैन्ट, प्रेमनगर में

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 15–11–2014 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय देहरादून द्वारा दिनांक 09–09–2014 को जारी की गयी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की गयी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, सुधांशु गर्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी वाहन संख्या UK13-3989 MOTOR CYCLE चेसिस संख्या ME145S099C2022104 इंजन संख्या–45S9022113 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुधांशु गर्ग,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन, अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल

आदेश

13 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 751/लाइसेंस/नि0–निरस्ती0/2015–श्री डी0एन0 पाण्डे पुत्र श्री बी0एल0 पाण्डे, निवासी–डी/1147, झॉ कॉलोनी, पन्तनगर, जिला–ऊधमसिंह नगर ने अपने अनुज्ञप्ति संख्या–12382/कु/97 जोकि कार्यालय अभिलेखानुसार केवल मोटर साइकिल संचालन हेतु विधिमान्य है तथा दिनांक 24–07–2015 वैध है, को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया हैं कार्यालय अभिलेखों से अनुज्ञप्ति धारक एवं अनुज्ञप्ति संख्यांक का मिलान किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक के निजी अनुरोध पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–16 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या–12382/कु/97 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

संदीप वर्मा,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हल्द्वानी।

कार्यालय, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटैक्निक मूनाकोट (पिथौरागढ़)

कार्यभार ग्रहण आदेश

06 जून, 2015 ई0

पत्रांक सं0 77–84/स्था0/2015–16–उत्तराखण्ड शासन के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग के पत्रांक सं0–521/XLI-1/15-104/14 देहरादूनः दिनांक 01 जून, 2015 के आदेशानुसार क्र0सं0–05 पर अंकित अभ्यर्थी सुश्री नेहा जोशी ने प्रवक्ता, भौतिकी वेतन बैण्डः ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400, के पद पर इस संस्था में आज दिनांक 06–06–2015 की पूर्वान्ह् में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अंशिका गुप्ता,
प्रधानाचार्य।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

22 जून, 2015 ई0

संख्या 361/पंजीयन निरस्त/2013–वाहन संख्या UA13-0089 Taxi cab के वाहन स्वामी श्री दीपक बर्थवाल पुत्र श्री शंकर सिंह बर्थवाल, निवासी ग्राम चमस्वाड़, पो0–हड़ेतिखाल वाया चोपड़ा, जिला रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि उनके वाहन को 12 (बारह) वर्ष हो जाने के उपरान्त जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने की वजह से मार्ग पर चलने योग्य नहीं रह गया है। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वाहन के पूर्ण निस्प्रयोज्य होने के कारण वाहन स्वामी ने अपने वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, सुधांशु गर्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी वाहन संख्या UA13-0089 Taxi cab चेसिस संख्या 2ABA22C13872 इंजन संख्या–AB24C53170 पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुधांशु गर्ग,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

04 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 1827/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16/ओ0सी0 टिकट जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री बी0पी0 पैकिजिंग प्रा0लि0 काशीपुर, टिन–05007591245	ओ0सी0 टिकट (10)	OCUK/AA-2008 0510530, 0670794, 0670806, 0670807 0670808, 0670816, 0670818 0670849, 0670853, 0670855	खोने के कारण
2.	सर्वश्री स्केज फार्मा प्रा0लि0, प्लॉट नं0 31–32, सेक्टर–6ए, आई0आई0ई0, रानीपुर सिड़कुल, हरिद्वार, टिन–05005786754	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-M2012 2896478, 2896504, 2896514	खोने के कारण
3.	सर्वश्री अंबुजा सीमेण्ट लि0, यूनिट रुड़की, ग्राम–लाकेश्वरी, परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की, टिन–05003985561	प्ररुप–XVI (17)	U.K.VAT-M2012 0556071, 0738250, 0738584, 1155954, 1155955, 1289539, 1292981, 1292983, 2943294, 3575281, 3575282, 3577881, 3578987, 4238800, 4239346, 1292084, 3576049	खोने के कारण
4.	सर्वश्री गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज, ग्राम–थिथौला, रुड़की, टिन–05004064228	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-M2012 2805168, 2805202, 2805261	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

सूचना

12 जून, 2015 ई0

पत्रांक 153/त्रि0पं0/उप निर्वाचन–2015 (उप प्रधान)–राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–294/रा0नि0आ0–2/1909/2015 दिनांक 11 जून, 2015 के क्रम में, मैं, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, चम्पावत यह निर्देश देता हूँ कि जनपद में विभिन्न कारणों से उप प्रधान के रिक्त पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, उप निर्वाचन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर निम्नलिखित सारणी में निर्धारित तिथि एवं समयानुसार कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
22–06–2015 (पूर्वान्ह् 10:00 बजे से पूर्वान्ह् 11:00 बजे तक)	22–06–2015 (पूर्वान्ह् 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	22–06–2015 (दोपहर 12:00 बजे से अपरान्ह् 12:30 बजे तक)	22–06–2015 (अपरान्ह् 12:30 बजे से अपरान्ह् 13:00 बजे तक)	22–06–2015 (अपरान्ह् 13:30 बजे से अपरान्ह् 15:30 बजे तक)	22–06–2015 (अपरान्ह् 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम–निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

जनपद के विकास खण्डवार उप प्रधान के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्ति का कारण
1	2	3	4
01	चम्पावत	छतकोट	मृत्यु होने के कारण
02		विचई	त्याग–पत्र.
03	लोहाघाट	मढ़ुवा	मृत्यु होने के कारण

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), चम्पावत।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

09 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 1887/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री जी0एस0 ट्रेडको, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, टिन–05005551820	(From-C)–02	U.K.VAT-C-2007 343940, 343941	खोने के कारण
2.	सर्वश्री लिटमेन पावर सिस्टम, इण्ड0 एरिया, बहादराबाद, हरिद्वार, टिन–05005921002	(From-C)–06	U.K.VAT-C-2007 1212109, 1212190, 1212241 U.K.VAT/C-2009 0118297, 0118331, 0118365	खोने के कारण
3.	सर्वश्री एडवांस इलैक्ट्रिकल, प्लॉट नं0 19बी0, इण्ड0 पार्क–2, सलेमपुर महदूद हरिद्वार, टिन–05009195043	(From-C)–03	U.K.VAT-C-2007 1113288, 0117829 U.K.VAT/C-2009 0321561	खोने के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

July 09, 2015

No. 1887/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2015-16/D.Dun--Whereas, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C/F" enlisted below:--

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "Form-C/F" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl.No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s G.S. Treadeco, opp-Ganesh Kattha Factory Rampur Road, Haldwani. Tin No.-05005551820	(From-C)–02	U.K.VAT-C-2007 343940, 343941	Lost
2.	M/s Litman Power System, F-85 Ind. Area, Bahadrabad, Haridwar. Tin No.-05005921002	(From-C)–06	U.K.VAT-C-2007 1212109, 1212190, 1212241 U.K.VAT/C-2009 0118297, 0118331, 0118365	Lost
3.	M/s Advance Electronics, Plot No-19B, Ind Park-2 Arrow Ind. Area Salempur Mehdood, Haridwar. Tin No.05009195043	(From-C)–03	U.K.VAT-C-2007 1113288, 0117829 U.K.VAT/C-2009 0321561	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

14 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 2310/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-3289/2015–वाहन संख्या UK06CA-3289 मॉडल 2011, चेसिस संख्या 11UK06012093 कार्यालय में श्री गुरबाज सिंह पुत्र श्री विरसा सिंह, निवासी मलपुरी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 09–07–2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31–07–2015 तक जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UK06CA-3289 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK06012093 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

14 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 2312/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06Q-5004/2015–वाहन संख्या UK06Q-5004 मॉडल 2010, चेसिस संख्या MALBB51RLAM231228 तथा इंजन नं0 D4FCAU903370 कार्यालय में श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी आवास विकास, वैस्ट वार्ड नं0 19, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 14–07–2015 को आवेदन–पत्र के साथ अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है जो मार्ग पर संचालन योग्य नहीं रहने के कारण वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक एक बारीय जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UK06Q-5004 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALBB51RLAM231228 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/422–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 17, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम लेफि0 कमांडर (रिटायर्ड) गुमान राम (P.No-87589R) से बदलकर लेफि0 कमांडर (Retd). गुमान राम आनन्द (P.No-87589R) कर दिया है। भविष्य में मुझे सरकारी व समस्त अभिलेखों में इसी नाम से लिखा, पढ़ा व समझा जावे।

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गुमान राम आनन्द
पुत्र श्री पदम राम,
ग्राम काण्डेई, पोस्ट–उलंग्रा,
पटवारी वृत–देवाल,
तहसील–थराली, जिला–चमोली,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/422–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।